

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 29/2020

निर्णय दिनांक -16.06.2020

मदन लाल पिता छगनलाल जी जाति कुमावत, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

- प्रार्थी

//बनाम//

1. बद्रीलाल पिता दौलाजी जाति कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़राज0।
2. जमना बाई पत्नि बद्रीलाल जी जाति कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 505 की आराजी नं0 2237 मीन रकबा 0.9700, आराजी नं0 2236 मीन रकबा 0.3400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 505 की आराजी नं0 2237 मीन रकबा 0.9700, आराजी नं0 2236 मीन रकबा 0.3400 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 16.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/01

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा



Scanned with Cam

